सं. ए-12018/01/2021-प्रशा.V

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 7 सितम्बर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: साइबर एवं सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग, गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के लेवल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर 'खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम' के तहत भरा जाएगा, के लिए भर्ती नियम बनाना।

****

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, साइबर एवं सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग, गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के स्तर पर नए सृजित किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 01 पद के लिए भर्ती नियम बनाने का प्रस्ताव है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावित भर्ती नियमों के संबंध में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई हो, अधिकतम 07 अक्टूबर, 2021 **तक अवर सचिव (प्रशा.V) गृह मंत्रालय, कमरा सं. 81-डी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित की जा सकती हैं**। इस प्रकार प्राप्त हुई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं:-

क्र.सं.	**विशेष**	**प्रस्तावित प्रावधान**
1.	पद का नाम	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
2.	पदों की संख्या	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	पे मेट्रिक्स में पे लेवल	लेवल-14 (एसएजी लेवल) [₹1,44,200 – 2,18,200/-]
5.	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति	सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से 'गैर-केन्द्रीय स्टॉफिंग प्रणाली' पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर
11.	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	**प्रतिनियुक्ति:** अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) / संगठित समूह 'क' सेवा / केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों, अथवा (ii) वे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर पे-मैट्रिक्स के लेवल-13क में नियुक्ति के पश्चात् 02 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अथवा (iii) वे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर पे-मैट्रिक्स के लेवल-13 में नियुक्ति के पश्चात् 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते हों:- **अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक डिग्री; और साइबर/ टेलिकॉम/ आईसीटी/ आंतरिक सुरक्षा/ विधि के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** कम्प्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता विश्वविद्यालय / संस्थान से एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी); या बी.ई. / बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी)। **नोट 1:** केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं

07/09/2021

(विश्वजीत कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 3666

सेवा में,

1. सभी हितधारक, इस मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां भेजने हेतु ।
2. अनुभाग अधिकारी (आईटी), मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।